

For/E-Mail

आदेश

पुलिस हस्तक नियम-778(iii) में निहित प्रावधान के आलोक में सेवा निवृत्ति निकटता के आधार पर सहायक अवर निरीक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर रिक्ति की उपलब्धता के आलोक में केन्द्रीय स्थापना समिति की दिनांक-08.06.2021 एवं बाद की तिथियों को आहूत बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानान्तरण नीचे उनके नाम के सामने स्तंभ-8 में अंकित जिला बल में किया जाता है :-

| क्र0 | पदनाम | नाम | गृह जिला | जन्म तिथि | वर्तमान पदस्थापन | स्थानान्तरण कहाँ चाहते हैं | स्थानान्तरित जिला |
|------|---------|--------------|----------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | स0अ0नि0 | रामाधार राम | गढ़वा (झारखंड) | 08-02-63 | बेतिया | रोहतास | रोहतास |
| 2 | स0अ0नि0 | महेश कुमार | नालन्दा | 01-01-63 | जमुई | नालन्दा | नालन्दा |
| 3 | स0अ0नि0 | मो0 आलम | दरभंगा | 01-03-63 | नालन्दा | दरभंगा | दरभंगा |
| 4 | स0अ0नि0 | सुशील पासवान | भागलपुर | 05-04-62 | सीतामढ़ी | भागलपुर | भागलपुर |

2. निम्न पुलिस पदाधिकारी का सेवानिवृत्ति निकटता के आधार पर स्थानान्तरण से संबंधित प्राप्त अभ्यावेदनों के समीक्षोपरान्त समिति द्वारा याचित स्थान हेतु विचारण की परिधि से बाहर रहने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है:-

| क्र0 | पदनाम | नाम | गृह जिला | जन्मतिथि | वर्तमान पदस्थापन | स्थानान्तरण कहाँ चाहते हैं | समिति का निर्णय |
|------|---------|-------------------|----------|----------|------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | स0अ0नि0 | शम्भु कुमार चौधरी | मधुबनी | 07-01-63 | पटना | दरभंगा | ऐच्छिक जिला में स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अवधि पूर्ण नहीं/ अस्वीकृत |

3. संबंधित स्थानान्तरण सेवानिवृत्ति के निकटता एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा समर्पित विकल्प के आधार पर किया गया है। संबंधित कार्यालय प्रधान स्थानान्तरित पदाधिकारियों को विरमित करने से पूर्व उक्त पदाधिकारियों के सेवाभिलेख की जाँच करने के उपरान्त ही जिलादेश निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे। यदि इसमें कोई भिन्नता पायी जाती है, तो एतद् संबंधी सूचना से पुलिस मुख्यालय को अविलम्ब अवगत करायेंगे।

4. स्थानान्तरित किये गये पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ 08 में अंकित जिलो में तत्काल प्रभाव/जिनके सम्मुख तिथि अंकित है उन्हे उक्त तिथि के प्रभाव से स्थानान्तरित जिला के लिए विरमित करना सुनिश्चित किया जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन बिहार पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

5. उक्त स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः यात्रा/स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

6. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

M/16/21

पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक)
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या- / पी0-2 / 07-06-05-2021 / 476

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक:- 11/06/2021

प्रतिलिपि :-

- सभी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित)/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित)/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी प्राचार्य, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
- आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

M/16/21

पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना